विचार बिन्दु

धीरज सारे आनंदों और शक्तियों का मूल है। –फ्रैंकलिन

प्रसारण सेवा विनियम विधेयक- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण की तैयारी

लोकसभा चुनाव 2014 एवं विशेष कर 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का बहुत प्रभावित प्रयोग किया। लगभग प्रतिदिन मतदाताओं को भाजपा की विचारधारा के समर्थन में सोशल मीडिया में एक प्रकार से वैचारिक बमबारी देखने को मिली। इसके कारण, मतदाताओं की सोच पूरी तरह प्रभावित हुई। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर भाजपा ने न केवल अपने नेताओं के पक्ष में प्रभावी संदेश मतदाताओं तक पहुंचाया अपितु उसने स्वतंत्रता संठाम के अनेक सेनानियों जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कई व्यक्तिगत आक्षेप वाले वीडियो भी जारी किए और उन्हें बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया।

इसी का परिणाम था कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई एवं भारी बहुमत वाली सरकार बनी। 2019 के बाद भी सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के कारण प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक अपराजेय नेता के रूप में बना दी गई। न केवल यह, उन्हें विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक घोषित कर दिया ।

2019 के पश्चात, विशेष कर कोरोना के दौरान, सरकार की असफलताओं के बहुत सारे उदाहरण कुछ प्रबुद्ध पत्रकारों एवं युटयुबर्स द्वारा जनता के सामने लाए गए।कई निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारों जैसे अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार ने प्रमुख राष्ट्रीय समाचार चैनलों को छोड़कर अपने यूट्यूब चैनल बना लिए। इनके अतिरिक्त ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति जो पहले से ही अपने शैक्षणिक एवं यात्रा वीडियो के कारण बहुत लोकप्रिय थे उन्होंने भी समसामयिक विषयों पर अपने वीडियो बनाकर पोस्ट करने शुरू कर दिए। इन्होंने कई ऐसे तथ्य की जनता के सामने रखने प्रारंभ किए जिससे सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इन लोगों ने शोध करके प्रधानमंत्री मोदी के 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों की क्लिपिंग एकत्र की और उनकी तुलना वास्तविक धरातल की स्थिति से की और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सरकार के अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए हैं। कई कमियां जो पहले सामने नहीं आ पाती थीं, वे अब सामने आने लगीं ।

विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का प्रभावी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा सोशल मीडिया के प्रभावी प्रयोग का ही परिणाम था कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अलग तरह के रहे। मोदी जहां अति आत्मविश्वास में लोकसभा में '400 पार' का नारा दे रहे थे, वहीं जब 2024 के परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को 400 तो दूर की बात है अपने स्वयं के स्तर पर बहुमत के आंकड़े अर्थात 272 से भी 30 सीटें कब मिलीं ।

सरकार की आलोचना के लिए सोशल मीडिया का उपयोग इतना अधिक होने लगा कि नवंबर 2023 में सरकार ने केवल एवं टीवी नेटवर्क कानून 1995 के स्थान पर प्रसारण सेवाएं विनियमन 2023 का प्रारूप जनता के सामने प्रस्तुत किया। यह बात लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की थी। अत: इसे विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अब चुनाव पूरा होने के पश्चात अप्रैल 2024 में इसी विधेयक का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाकर पारित कराया जाएगा एवं उसके पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि संसद में भी यह पारित हो गया तो फिर यह प्रसार सेवा विनियम कानून का रूप ले लेगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस कानून की पृष्ठभूमि ही यह है कि सरकार ने यह अनुभव किया कि सरकार की कड़ी आलोचना का मुख्य माध्यम अब राष्ट्रीय चैनल नहीं रहकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि बन गए हैं, अत: इन पर नकेल कसे बिना काम चलने वाला नहीं है।

यह दिलचस्प है के प्रसारण सेवाएं विनियमन विधेयक का प्रारूप अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि इसका प्रारूप कुछ ओटीपी प्लेटफार्म के मालिकों, राष्ट्रीय चैनलों के मालिकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ साझा किया गया एवं उसी के आधार पर नया संशोधित प्रारूप बनाया गया है। अधिकांश यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर का कहना है कि उनसे किसी प्रकार की कोई राय नहीं ली गई। जो व्यक्ति, इस प्रस्तावित कानून से सबसे अधिक प्रभावित होंगे, उनकी कोई भूमिका इस कानून के बनाने में नहीं होगी।

सरकार की आलोचना के लिए सोशल मीडिया का उपयोग इतना अधिक होने लगा कि नवंबर 2023 में सरकार ने केवल एवं टीवी नेटवर्क कानून 1995 के स्थान पर प्रसारण सेवाएं विनियमन 2023 का प्रारूप जनता के सामने प्रस्तुत किया। यह बात लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की थी।

यह वैसी ही स्थिति होगी जैसी किसानों के संबंध में तीन कानून बनाते समय हुई थी। उस समय भी किसानों से राय नहीं ली गई थी। संसद में भी उस पर बहस नहीं हो पाई थी और अपने भारी बहुमत के आधार पर शोर शराबे में पारित करा लिया गया था । अंतत:, किसानों के कड़े विरोध और 700 किसानों की आंदोलन में हुई मृत्यु के पश्चात, सरकार को वे तीनों कानून वापस लेने पड़े। जिस प्रकार से प्रसारण सेवाओं को नियंत्रित करने का यह कानून बनाया जा रहा है उससे आशंका यही उत्पन्न होती है कि कहीं इनका भी वही हश्र नहीं हो जो किसानों के कानून का हुआ था।

आई अब हम इस कानून के प्रमुख प्रावधान एवं उसके प्रभाव का उल्लेखकर लें ।

यह कानून सभी ब्रॉडकास्टर्स पर लागू होगा। ब्रॉडकास्टर की परिभाषा बड़ी विस्तृत एवं वृहद रखी गई है । जहां एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म एवं यूट्यूब चैनल इसमें सम्मिलित होंगे ही, वहीं कोई नागरिक भी यदि किसी समाचार या किसी रिपोर्ट पर अपने टिप्पणी दे देता है और उसका प्रसार एक निश्चित संख्या से अधिक हो जाता है, तो वह भी ब्रॉडकास्टर की श्रेणी में लाया जा सकता है। एक बार कोई भी व्यक्ति या संस्था ब्रॉडकास्टर की श्रेणी में आ गई तो उस पर इस कानून के सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे। उसे एक समिति बनानी होगी जो प्रसारित होने वाले विषय वस्तु का मूल्यांकन करेगी, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल अधिकारी बनाना होगा जो विषय वस्तु से संबंधित प्राप्त शिकायत का निराकरण करेगी । कल्पना कीजिए, कोई साधारण व्यक्ति यदि कथित सरकार विरोधी टिप्पणी कर देता है तो वह भी इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई का भागीदार हो जाएगा। इस कानून के अंतर्गत, यदि सरकार द्वारा कोई भी विषय वस्तु किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाली अथवा देश हित के विरुद्ध मानी गई तो उसे हटाने का निर्णय सरकार ले सकेगी। इस अधिनियम की पालना न करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाकर उसे 2 साल की सजा और उस पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा । न्यायालय के आदेश के बिना, सरकार को यदि लगता है की कोई विषय वस्तु आपत्तिजनक है तो उसे हटाने का आदेश दिया जा सकेगा एवं उसे संदेश को रोका भी जा सकेगा। विषय वस्तु से संबंधित किसी भी शिकायत के बारे में अंतिम निर्णय ब्रॉडकास्ट अपील अधिकरण के द्वारा लिया जाएगा । इस ब्रॉडकास्ट अपील अधिकरण का गठन भी सरकार ही करेगी, जिसमें स्वाभाविक है सरकार की मनपसंद के लोग होंगे ।

कुल मिलाकर इस कानून के आने के बाद आशंका यही है कि हम एक प्रकार के 'डिजिटल तानाशाही' के युग में प्रवेश कर जाएंगे जहां न तो नागरिकों की कोई निजता बचेगी एवं न ही कोई यूट्यूब पर या पोस्ट द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना कर पाएगा। सरकार यदि चाहे तो ऐसे ब्रॉडकास्टर के द्वारा उपयोग में लिए जा रहे सभी डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि जप्त कर सकेगी। इसके लिए किसी भी प्रकार के न्यायिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी । कल्पना कीजिए, एक साधारण नागरिक द्वारा यूट्यूब पर डाले गए किसी वीडियो से नाराज होकर यदि उसके उपकरण जप्त कर लिए गए तो उसके लिए यह वित्तीय हानि इतनी अधिक होगी कि वह इस काम को करने की दोबारा सोचेगा भी नहीं। कोई वीडियो राजनीतिक प्रवृत्ति का नहीं भी है किंतु यदि उसमें परोक्ष रूप से भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे शब्दों का प्रयोग कर किया गया तो उसे सरकार – विरोधी मानकर, उसे भी इस कानून के अंतर्गत दोषी माना जा सकेगा।

संभवतया, सरकार इस कानून के अंतर्गत किसी के विरुद्ध औपचारिक कार्रवाई न भी करे, किंतु सरकार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा यदि डर के मारे कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी विषय वस्तु अपने माध्यम से प्रचारित प्रसारित नहीं करेगा। कानून में यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसमें शिकायत कैसे होगी और इस कानून के अंतर्गत प्रावधानों की पालना किस प्रकार कराई जाएगी? किसी भी परिभाषा को अस्पष्ट रखने का उद्देश्य ही यह होता है कि सरकारी अधिकारी मनमाने तौर पर उसकी परिभाषा बना सकें और जिसके विरुद्ध चाहे, उसके विरुद्ध कानून कारवाई कर सकें ।

हालांकि अभी तक इस प्रस्तावित कानून का कोई प्रारूप सामने नहीं आया है किंतु जो बातें समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से सामने आई है उसके आधार पर यह आलेख लिखा गया है। सरकार को यह चाहिए कि तत्काल विधेयक के प्रारूप को सार्वजनिक करे एवं नागरिकों से इस पर अपने सुझाव आमंत्रित करे। इसके बाद, इसे संसद में रखकर गहन चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित करने की कार्यवाही करे। यदि सरकार ने इसे बिना किसी चर्चा के, केवल अपनी आलोचना से बचने की आड़ में, बहुमत के आधार पर संसद से पारित करा भी लिया तो न्यायालय में इसका टिकना कठिन है, किंतु कुछ समय भी यदि यह कानून अस्तित्व में रहा, तो संभव है, सरकार कई प्रतिष्ठित, निष्पक्ष, स्वतंत्र और साहसी पत्रकारों को जेल में डाल देगी, ऐसी आशंका करना गलत नहीं होगा।

फिलहाल तो हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और इस प्रकार के किसी भी दमनकारी कानून से बचे ताकि संविधान प्रदत्त नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की आंच ना आए। आगे आगे देखिए, होता है क्या?

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

जैविक पशुपालन शोध और उद्यमिता विकास पर जोर दें विश्वविद्यालय : राज्यपाल मिश्र

बीकानेर के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित

बीकानेर, (निसं)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जैविक पशुपालन, शोध और अनुसंधान के साथ प्रसंस्करण व उद्यमिता में कौशल विकास से जुड़े कार्य प्रारम्भ किए जाएं। राज्यपाल मिश्र सोमवार को बीकानेर के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वर्ण पदक व उपाधियां प्रदान की।

- समारोह में 665 उपाधियों और 29 पदकों से विद्यार्थियों को अलंकृत किया

राज्यपाल ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या घटती कृषि जोत पानी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कमी मनुष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में पशुधन और पशु उत्पाद ही पोषण सुरक्षा की दृष्टि से वरदान साबित हो सकते हैं। इसके लिए खाद्य और दुग्ध उद्योग में छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि राजुवास तीन संघटक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों एक डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय आठ सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा 101 डिप्लोमा संस्थानों के माध्यम से प्रदेश में पशु चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षण के तहत पशुधन संरक्षण प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीक के बारे में पशुपालकों से जानकारियां साझा करें। मिश्र ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन की हमारी संस्कृति रही है। खेती-बाड़ी आय अर्जन के साथ पोषण सुरक्षा का भी माध्यम है। मिश्र ने आव्हान किया कि नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से पशु सम्पदा रोग निदान और उपचार के साथ-साथ उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। राज्यपाल मिश्र ने पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह की बधाई दी।

राज्यपाल मिश्र ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अन्तर्गत एक विद्यार्थी-एक पेड़ की संकल्पना में हर विद्यार्थी को भागीदारी का आव्हान किया। कुलपति प्रो. सतीश गर्ग ने स्वागत उद्बोधन दिया और विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नज़ीर अहमद गनई ने दीक्षांत भाषण दिया।

समारोह में बीकानेर पूर्व विधानसभा विधायक सिद्धी कुमारी, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरूण कुमार, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित, राज्यपाल के विशेषाधिकारी गोविंद जायसवाल, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम आदि मौजूद रहे। कुलसचिव बिन्दु खत्री ने आभार जताया। राज्यपाल ने समारोह के दौरान 538 छात्र-छात्राओं को स्नातक 106 को स्नातकोत्तर एवं 21 को विद्यावाचस्पति की उपाधियां प्रदान की। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया।

संस्कृति संध्या मल्हार-2024 में नृत्य नाटिकाओं द्वारा ऋतुओं को जीवंत किया

भीलवाड़ा, (निसं)। स्थानीय रमा कत्थक संस्थान एवं एल.एन.जे. समूह के सहयोग से वर्षा एवं सुख स्मृद्धि की कामना के लिए शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय नृत्यों की संस्कृति संध्या मल्हार-2024 का आयोजन स्थानीय महाराणा प्रताप सभागार (टाउन हॉल) में किया गया।

जानकारी देते हुए संस्थान के अध्यक्ष कैलाश पालिया ने बताया कि चार से छह वर्ष आयु के बच्चों के नीनाद समूह ने "राधे कृष्ण" की ज्योति अलौकिक एवं "ऊंची ऊंची ढोरियों से बांधू मैं गगर को" कृष्ण वन्दना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। नुपूर समूह ने गरबा नृत्य "कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे" स्वरा समूह ने "मेघ मल्हार" पर आधारित "गरज-गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी", की प्रस्तुति से सम्पूर्ण वातावरण को सावन महिने के एहसास से भर दिया। श्रुति समूह ने "आ जा रे मोरे रसिया ये मौसम मिलने का है" रागिनि समूह ने "बूंदन-बूंदन बरसे मेघा" एवं सकल बन फूल रही सरसों की प्रस्तुति से कार्यक्रम की ऊंचाईयां प्रस्तुत की। महाराज बिन्दादीन की प्राचीन अष्ठपदी निरतन ढंग से किरत किरत समूह ने भगवान नटवर के रूपों के साथ कत्थक के तकनीकी पक्ष तोड़े, टुकड़े, गत, फरद आदि की सुन्दर व्याख्या की। मनसवी पचिसियां एवं हर्षिता पुरोहित के युगल नृत्य "इठलाती बलखाती चमकत है, दामिनीयां" जो कि स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज के मन भीतर के अन्तर्गत था की मन मोहक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया।

महाराणा प्रताप सभागार (टाउन हॉल) में संस्कृति संध्या मल्हार-2024 में कलाकारों ने कार्यक्रम पेश किये।

कार्यक्रम में किंकणी समूह के द्वारा रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुन्दर रूप से किया गया। पल्लवी समूह पिया बावरी पर सुन्दर प्रस्तुतिकरण दिया। बाल कलाकार ओनिक जैन ने भी वर्षा ऋतु पर गायन की सुन्दर प्रस्तुति दी। अंकिता राणावत एवं कविता ओझा को कत्थक के क्षेत्र में एवं औनिक जैन को गायन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया। खचाखच भरे टाउनहॉल में दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। संस्थान के सचिव रमा पचिसिया के अनुसार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री जानकीलाल भांड, रजनीश वर्मा, आरसीएम समूह के टीसी छाबड़ा, ओस्तवाल समूह की नीतू ओस्तवाल, समाजसेवी पूजा गलुन्दिया, संगीत गुरू विद्याशंकर किन्नरीया ने कत्थक नृत्य के प्रति बच्चों का इतना सम्पर्ण देखकर संस्थान के उद्देश्यों एवं गुरूजनों को शुभकामनाएं दी। कत्थक गुरू रमा पचिसिया के मार्ग निर्देशन में मनसवी, हर्षिता, प्रेरणा, स्तुति, अदिति, युक्ति ने नृत्य निर्देशन किया। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ कलाकार संगीतज्ञ एवं 500 से ज्यादा कला प्रेमियों की उपस्थिति रही।

सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब

मंदिरों में सहस्त्रधारा, रुद्राभिषेक व जलाभिषेक के कार्यक्रम हुये

अजमेर, (कासं)। सनातन संस्कृति में श्रावण मास में भगवान भोले नाथ की अराधना के रूप में मनाया जाता है। सावन माह के दूसरे सोमवार को शहर सहित जिलेभर के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़िए पुष्कर सरोवर से जल भरकर अपने गंतव्य मंदिरों तक जा रहे हैं तो वहीं मंदिरों में सहस्त्रधारा, रुद्राभिषेक व जलाभिषेक सहित धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और बम-बम भोले के जयघोष गुंजायमान हो गए। श्रद्धालु अपने आस्था के अनुरूप भगवान भालेनाथ के गर्भग्रह में शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र, घी, शहद आदि से अभिषेक कर रहे हैं।

वैशाली नगर सागर विहार कॉलोनी स्थित बड़कालेश्वर मंदिर में सहस्त्रधारा का आयोजन हुआ। संयोजक डॉ.बीना चौधरी ने बताया कि पांच पंडित द्वारा रुद्रपाठ किया गया। सात जोड़ों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कराई गई। शिव परिवार सहित श्रीकृष्ण राधा, राम दरबार, दुर्गा मां की प्रतिमाओं का नयनाभिराम श्रृंगार किया। मंदिर की भी विशेष सजावट गई। आरती के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। अखिल भारतीय प्रजापति युवा संगठन की ओर से कुम्हार मोहल्ला आर्य नगर स्थित कुम्हारेश्वर महादेव मंदिर में विधि-विधान से शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। शिव शक्ति नगर से शोभायात्रा निकाली गई। पंडित पीयूष दाधीच ने विधि-विधान से भगवान शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। इस अवसर पर हवन यज्ञ हुआ। वहीं शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कांवड़िए पुष्कर सरोवर से जल लेने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु पुष्कर सहित आसपास के पवित्र सरोवर से जल लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित मंदिरों पर पहुंच रहे हैं, इसके साथ रुद्रीपाठ के बीच सहस्त्रधाराएं हो रही है। ब्रह्माकुमारीज द्वारा शिव दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी:- प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शास्त्री नगर की ओर से पलटन बाजार विजयवर्गीय धर्मशाला में आयोजित शिव दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के दर्शन कर पूजा-अर्चना की

अजमेर में सावन के दूसरे सोमवार को महिलाओं ने मंदिरों में शिवजी की पूजा-अर्चना की।

ब्रह्माकुमारी आशा बहन ने कहा कि सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। ज्ञान के सागर हैं। गुणों के भंडार हैं। आनंद के सागर हैं। कार्यक्रम में कीर्ति बहन, भाई ओमप्रकाश, हरिराम आदि मौजूद रहे। श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर पर मंगलवार को सहस्त्रधारा का आयोजन होगा। सुबह नौ बजे पंडितों द्वारा विधि-विधान से शिव पूजन, दोपहर एक बजे मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक (सहस्त्र धारा) पांच बजे तक तत्पश्चात भगवान शिव का विशेष श्रृंगार, महाआरती व प्रसाद का वितरण होगा।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 30 जुलाई, 2024

सावन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, कृत्तिका नक्षत्र दिन 10:23 तक, वृद्धि योग दिन 3:56 तक, विष्टि करण सायं 4:45 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृष, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरू-वृष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 10:23 तक है। कुमार योग दिन 10:23 से आरम्भ होगा। भद्रा सायं 4:45 तक रहेगी। आज मंगला गौरी पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:14 से 10:53 तक, लाभ-अमृत 10:53 से 2:13 तक, शुभ 3:53 से 5:32 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:54, सूर्यास्त 7:12

मेष
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कर्क
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

धनु
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मकर
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।